

भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल ०२

Phone : 2661263, 2737446 Fax: 2661263 Website: bsgmp.net E_mail: bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्र० / २७०५ / रा०मु० / प्रशि.स्का. / 2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३/११/२०१७

प्राचार्य,
जिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान (डाईट)
जिला.....

विषय :- बेसिक स्काउट/कब मास्टर प्रशिक्षण शिविरो के आयोजन के संबंध में।
संदर्भ:- राज्य के वार्षिक कार्यक्रमानुसार सत्र 2017-18।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि आपकी संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बेसिक स्काउट/कब मास्टर का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः आप अपनी सुविधा अनुसार प्रशिक्षण काल में बेसिक स्काउट/कब मास्टर प्रशिक्षण शिविर की तिथि निर्धारित कर भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल को अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि संचालक मंडल नियुक्त किया जा सके। शिविर माह नवंबर/दिसंबर 2017 में आयोजित किये जावे।

सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों की निम्नानुसार व्यवस्था होगी:-

1. बेसिक शिविर के पूर्व 01 दिवसीय शिविर सेल्फ लर्निंग माड्यूलर किया जावेगा जिसका शुल्क 100.00 प्रति सदस्य संस्थान की ओर से शिविर स्थल पर देय होगा।
2. शिविर अवधि में भोजन व्यवस्था डाईट प्रतिभागियों की ओर से स्वयं के द्वारा की जावेगी।
3. विशेष+विकास शुल्क 150.00 प्रति प्रतिभागी शिविर में जमा करना होगा।
4. युनिफार्म एवं साहित्य राज्य/संभाग/जिला मुख्यालय से क्रय किया जा सकता है।
5. बेसिक शिविर 07 दिवसीय होगा।

(आलोक खरे)
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल, दिनांक 3/11/2017

पृ०क्र./२७०५/रा०मु०/प्रशि.स्का./2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. गौतम नगर भोपाल।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय संभाग।
5. जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला मुख्य आयुक्त जिला।
6. सहायक राज्य संगठन आयुक्त/ जिला संगठक स्का/गा. संभागीय/जिला कार्यालय कि ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से डाईट प्राचार्य से सम्पर्क कर शिविर हेतु तिथि निश्चित कर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची प्राप्त कर संचालक मंडल प्रस्तावित कर इस कार्यालय को दिनांक 20.09.2017 तक अनिवार्य रूप से भेजे जिन जिलो में डी.ओ.सी. पदस्थ नहीं है उन जिलो के डाईट के प्राचार्य से सम्पर्क करने का दायित्व संबंधित संभाग के ए.एस.ओ.सी. का होगा। इस कार्य को प्राथमिकता से समय सीमा में कार्यवाही कर शीघ्र प्रस्ताव भेजे।

(आलोक खरे)
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.